लूट/चोरी अपराध में संलिप्त शातिर अपराधी अब्दुल्ला उर्फ छोटू द्वारा अवैध धन अर्जित कर क्रय की गयी लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये कीमती वाहन (आटो) 14(2) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी कियाकलाप (निवा0) अधि0 के तहत किया गया जब्त–

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.05.2025 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के नेतृत्व में थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 87/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवा0) अधि0 थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल्ला उर्फ छोटू पुत्र स्व0 इकबाल निवासी सठियांव चौक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ जिसके द्वारा लूट/चोरी अपराध में संलिप्त रहकर अवैध धन अर्जित कर क्रय की गयी लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये कीमती वाहन यूपी50सीटी9344 (आटो) 14(2) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवा0) अधि0 के तहत जब्त किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त के के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ व मऊ में कुल 21 अभियोग भिन्न–भिन्न धाराओं में पंजीकृत हैं जिनमें जनपद मऊ के कोतवाली, रानीपुर व मुहम्मदाबाद में कुल 13 अभियोग तथा जनपद आजमगढ़ में कुल 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 05/05/2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण गोविन्दा पुत्र चन्द्रदेव निवासी जमदरा,गुड्डू सिंह पुत्र इन्द्रदेव सिंह निवासी गुलौरी थाना हलधरपुर जनपद मऊ व थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सोनू गौड़ पुत्र सुबाष गौड़ निवासी छपरा भंगी थाना मधुबन जनपद मऊ तथा थाना घोसी पुलिस द्वारा अनिल यादव पुत्र त्रिभूवन यादव निवासी रामपुर तड़वा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व ₹1,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 03-05-2025 को मु0अ0सं0 564/2000 धारा 401 भादवि थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त अखमल पुत्र मुख्तार निवासी खैराबाद थाना मुहम्मदाबाद जपनद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹1,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 2 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।